

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 2011/माघ 30, 1932

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 2011/MAGHA 30, 1932

#### भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

# भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011

( 2011 का विनियम सं. 1 )

सं. आर-40007/विनियम-वसूली/अधिसूचना/04-सी.सी.आई. .—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 64 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, धनीय शास्ति की वसूली की रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 है ।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं ---
- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
  - (ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा ७ की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
  - (ग) "मांग सूचना-पत्र" से आयोग द्वारा किसी ऐसे उद्यम को जारी कोई सूचना-पत्र अभिप्रेत है जिससे अधिनियम के अधीन कोई शास्ति वसूलनीय है;
  - (घ) "उद्यम" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित उद्यम अभिप्रेत है;

652 GI/2011

- (ङ) "व्यतिक्रमी उद्यम" से कोई ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसने अपने ऊपर सम्यक रूप से मांग सूचना-पत्र तामील किए जाने के बावजूद नियत समय के अंदर अपने ऊपर अधिरोपित धनीय शास्ति का संदाय नहीं किया है ;
- (च) "आय-कर प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 116 में यथापरिभाषित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) ''शास्ति'' से आयोग द्वारा अधिरोपित और अधिनियम के अधीन वसूली योग्य कोई धनीय शास्ति या जुर्माना या कोई अन्य राशि अभिप्रेत है ;
- (ज) "शास्ति वसूली रिजस्टर" से इन विनियमों के संलग्न प्ररुप में यथा अधिकथित रिजस्टर अभिप्रेत है जिसमें आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियों के सभी ब्योरे अंतर्विष्ट है ;
- (झ) "वसूली प्रमाणपत्र" से आयोग द्वारा जारी किया गया और उसके आदेशों के निबंधनों के अनुसार वसूली अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ञ) "वसूली अधिकारी" से, यथास्थिति, उद्यम या 'व्यतिक्रमी उद्यम' से शास्ति की वसूली के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत, इन विनियमों में यथापरिभाषित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ट) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत उसका कोई अधिकारी भी है;
- (ठ) "कर वसूली अधिकारी" से अधिनियम की धारा 39 के स्पष्टीकरण 2 में यथानिर्दिष्ट और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड(44) में परिभाषित कर वसूली अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका इन विनियमों में प्रयोग किया गया है परंतु परिभाषित नहीं किया गया है, वहीं अर्थ होगा जो उनका यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में क्रमशः है।
- 3. मांग सूचना-पत्र का जारी किया जाना.-
  - (1) जहां आयोग द्वारा किसी उद्यम पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, वहां सचिव इन विनियमों के संलग्न प्ररूप एक में यथा अधिकथित मांग सूचना-पत्र जारी करेगा और वसूली अधिकारी के माध्यम से संबद्ध उद्यम को आयोग द्वारा शास्ति के अधिरोपण के आदेश में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग को ज्ञात उसके अंतिम पते पर उसकी तामील करेगा और संयुक्त खाते की दशा में, ऐसे खाते के सभी संयुक्त धारकों को आयोग को ज्ञात उनके अंतिम पते पर तामील करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन जारी किया गया मांग सूचना-पत्र संबद्ध उद्यम को उक्त मांग सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट रीति में शास्ति का निक्षेप करने के लिए मांग सूचना-पत्र तामील करने की तारीख से तीस दिन का समय देगा :

परंतु, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि उपर्युक्त तीस दिन की अवधि का अनुज्ञात किया जाना अहितकर होगा तो वह संबद्ध उद्यम को निदेश दे सकेगा कि मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय ऐसी अवधि के अंदर कर दिया जाए जो उपर्युक्त तीस दिन की अवधि से कम होगी और जो आयोग द्वारा मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

- (3) मांग सूचना-पत्र की प्राप्ति पर उद्यम, इन विनियमों के संलग्न प्ररूप दो में यथा अधिकथित चालान के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शीर्ष सं. 1475.00.105.05, उपशीर्ष-05- 'भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियां के पक्ष में शास्ति का संदाय करेगा।
- (4) उद्यम द्वारा चालान की एक प्रति तत्काल, परंतु संदाय के सात दिन के अपश्चात्, वसूली अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और वसूली अधिकारी शास्ति वसूली रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा ।
- (5) आयोग किसी भी समय मांग सूचना-पत्र में हुई किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकेगा ।
- 4. समय का विस्तार और किस्तों की मंजूरी.-
  - (1) मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट संदाय की सम्यक तारीख् के अवसान से पूर्व संबद्ध उद्यम द्वारा किए गए आवेदन पर, आयोग ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आयोग मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना उचित समझे, संदाय के समय को विस्तारित कर सकेगा या किस्तों द्वारा संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा।
  - (2) उस दशा में जहां कोई विस्तारण मंजूर किया गया है और संबद्ध उद्यम इस प्रकार विस्तारित समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है वहां संबद्ध उद्यम को व्यतिक्रमी उद्यम माना जाएगा।
  - (3) उस दशा में जहां किस्तों द्वारा संदाय को अनुज्ञात किया गया है और संबद्ध उद्यम नियत समय के भीतर किसी भी एक किस्त के संदाय में व्यतिक्रम करता है, वहां संबद्ध उद्यमी को तत्समय बकाया पूंजी शास्ति के संबंध में व्यतिक्रमी उद्यम समझा जाएगा और अन्य किस्त या किस्तों को भी उसी तारीख को देय हुआ समझा जाएगा जिसको किस्त के संदाय में वस्तुतः व्यतिक्रम हुआ था।
- 5. शास्ति पर ब्याज.-

यदि किसी मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम का आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के भीतर संदाय नहीं किया जाता है, तो संबद्ध उद्यम मांग सूचना-पत्र में वर्णित अविध के अवसान के ठीक पश्चात् वाले दिन से प्रारंभ होने वाली और उस दिन के साथ जिसको शास्ति का संदाय किया गया है, समाप्त होने वाली अविध में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए डेढ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के संदाय का दायी होगा :

परंतु आयोग संबद्ध उद्यम द्वारा संदेय ब्याज की रकम को घटा सकेगा या अधित्यक्त कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम ऐसी परिस्थितियों के कारण था जो संबद्ध उद्यम के नियंत्रण से बाहर थी :

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, संदेय शास्ति की रकम को घटा दिया गया था, वहां व्याज को तदनुसार घटा दिया जाएगा और अतिरिक्त संदत्त व्याज का, यदि कोई हो, विनियम 14 के अनुसार प्रतिदाय किया जाएगा।

- 6. वसूली प्रमाणपत्र जारी करना.-
  - (1) जहां कोई उद्यम व्यतिक्रमी उद्यम है, या जहां उसे विनियम 4 के उपविनियम (2) और/या (3) के अनुसार व्यतिक्रमी उद्यम समझा जाता है, वहां आयोग इन विनियमों के साथ यथा संलग्न प्ररूप तीन में यथा अधिकथित वसूली प्रमाणपत्र को सचिव के माध्यम से जारी करेगा जिसमें वसूली की रीतियों के साथ शास्ति की रकम और उस पर ब्याज वर्णित होगा और शास्ति का निक्षेप करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा।
  - (2) आयोग, किसी भी समय जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र में हुई किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक कर सकेगा या ऐसे वसूली प्रमाणपत्र के अनुसरण में किए जाने वाले किसी संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ।
- 7. वसूली अधिकारी के कार्य, -
  - (1) आयोग इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अपने किसी भी अधिकारी को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में शास्तियों को वसूल करने के लिए वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
  - (2) वसूली अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मांग सूचना-पत्र सम्यक रूप से संबद्ध उद्यम पर तामील किया गया है । मांग सूचना-पत्र के तामील नहीं किए जाने की दशा में वसूली अधिकारी तुरंत सचिव को सूचित करेगा ।
  - (3) संबद्ध उद्यम द्वारा शास्ति का संदाय कर दिए जाने के पश्चात् वसूली अधिकारी सचिव को इसकी सूचना देगा । संबद्ध उद्यम द्वारा व्यतिक्रम की दशा में वह सचिव को संसूचित करेगा और उसके पश्चात् ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम को वसूली प्रमाणपत्र का जारी करना सुनिश्चित करेगा ।
  - (4) वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी उद्यम के ऊपर अधिरोपित शास्ति की रकम को वसूल करने के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में वसूली प्रमाणपत्र निष्पादित करेगा।
  - (5) वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् वसूली अधिकारी इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार अधिरोपित शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा ।

शास्ति वसूली रिजस्टर का रखा जाना.-

वसूली अधिकारी इन विनियमों के संलग्न प्ररूप चार में यथा अधिकथित शास्ति वसूली रिजस्टर संधारित करेगा और नियमित रूप से शास्ति वसूली रिजस्टर को अद्यतन करेगा ।

9. वसूली की रीतियां.-

जहां व्यतिक्रमी उद्यम वसूली प्रमाणपत्र में यथा वर्णित नियत समय के भीतर शास्ति के संदाय में असफल रहता है, तो वसूली अधिकारी शास्ति को वसूल करने के लिए निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा:-

- (क) वसूली अधिकारी वसूली प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय किसी ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम, जिससे शास्ति देय है या देय हो सकेगी या किसी ऐसे अन्य उद्यम जो व्यतिक्रमी उद्यम के लिए या उसके लेखे धन रखता है या तत्पश्चात् रख सकेगा, से आयोग को तत्काल शास्ति के देय हो जाने पर या वसूली प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उतने धन के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा जितना शास्ति के संबंध में व्यतिक्रमी उद्यम से देय शास्ति के संदाय के लिए पर्याप्त है । यदि ऐसा अन्य उद्यम शास्ति के बदले में उक्त रकम के संदाय में असफल रहता है तब ऐसे उद्यम के साथ भी उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा जैसा व्यतिक्रमी उद्यम के साथ किया जाता है :
- (ख) वसूली प्रमाणपत्र किसी भी ऐसे उद्यम को जारी किया जा सकेगा जो व्यतिक्रमी उद्यम के लिए या उसके लेखे किसी अन्य उद्यम के साथ संयुक्त रूप से कोई धन रखता है या तत्पश्चात् रख सकेगा और इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के अंशों को, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, बराबर माना जाएगा ;
- (ग) प्रत्येक उद्यम जिसे विनियम 6 के अधीन वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, ऐसे प्रमाणपत्र का अनुपालन करने को आबद्ध होगा और, विशिष्टतया, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंकिंग कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, तो किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने के पूर्व वैसी ही चीजों के लिए किसी पास बुक, निक्षेप रसीद, पॉलिसी, या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ;
- (घ) किसी ऐसी संपत्ति के विषय में, जिसके संबंध में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, मांग सूचना-पत्र की तारीख के पश्चात् उदभूत होने वाला कोई दावा वसूली प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा ;
- (ङ) जहां कोई ऐसा उद्यम जिसे वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है, शपथ पर कथन द्वारा उस पर आक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी उद्यम पर देय नहीं या वह व्यतिक्रमी उद्यम के लिए या उसके लेखे कोई धन नहीं रखता है, तब, यथास्थिति, इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा

652 65/11-2

जाएगा कि ऐसे उद्यम से, यथास्थिति, ऐसी किसी राशि या उसके भाग का संदाय अपेक्षित है:

परंतु उद्यम का ऐसा दावा आयोग के विचारार्थ उसकी सूचना में लाया जाएगा ;

- (च) वसूली अधिकारी उस न्यायालय को, जिसकी अभिरक्षा में व्यतिक्रमी उद्यम का धन है, उस उद्यम से देय शास्ति के उन्मोचन के लिए पर्याप्त रकम के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगा ;
- (छ) जहां किसी व्यतिक्रमी उद्यम के पास भारत से बाहर किसी देश (जो ऐसा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने अधिनियम के अधीन और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन शास्ति की वसूली के लिए करार किया है) में संपत्ति है, वहां आयोग उस देश से उस पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव करेगा जो आयोग, उस देश के साथ उक्त करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, समुचित समझे और इस प्रकार वसूल की गई किसी राशि को आयोग को विप्रेषित करेगा और उसके पश्चात् सचिव उस रकम को इस प्रयोजन के लिए निश्चित खाते में जमा करने के लिए समुचित उपाय करेगा ;
- (ज) जहां किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या अधिनियम के अधीन विनिश्चय के मश्चात् परंतु विनियम (3) के अधीन सूचना-पत्र को तामील किए जाने से पूर्व, कोई व्यतिक्रमी उद्यम किसी प्रभार का सृजन करता है या विक्रय, बंधक, दान, विनिमय के द्वारा या अंतरण किसी भी अन्य रीति से अपनी किन्ही आस्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम के पक्ष में अपने कब्जे से अलग करता है, वहां ऐसा प्रभार या अंतरण, उक्त कार्यवाही के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम द्वारा संदेय किसी शास्ति के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परंतु ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि उसे -

- (i) पर्याप्त प्रतिफल के लिए और ऐसी कार्यवाही के लंबित होने की सूचना के बिना; या
- (ii) आयोग की पूर्व अनुज्ञा से किया गया है ।
- 10. वसूली की अन्य रीतियां.-

वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् वसूली अधिकारी, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में अधिकथित नियमों के अनुसार शास्ति की राशि को वसूल करने के लिए, निम्न वर्णित रीतियों के माध्यम से भी कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात् :-

- (1) उद्यम की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा ; और
- (2) उद्यम की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा ।
- 11. आयोग द्वारा आय-कर प्राधिकारी को प्रति निर्देश.-

जहां आयोग की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति को, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के

अनुसरण में, वसूल करना समीचीन होगा, तब वह, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन ''देय कर'' के रूप में शास्ति की वसूली के लिए इन विनियमों के संलग्न प्ररूप पांच में यथा अधिकथित अनुसार, संबंधित आय-कर प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिनिर्देश करेगा।

- 12. आय-कर प्राधिकारी द्वारा वसूली की संसूचना.-
  - (1) जहां सचिव को कर वसूली अधिकारी से शास्ति की वसूली की संसूचना प्राप्त हो गई है, वहां वह सुनिश्चित करेगा कि वसूली अधिकारी उसे तुरंत, परंतु ऐसी सूचना प्राप्त हो जाने के पांच दिन के अपश्चात्, शास्ति वसूली रजिस्टर में लेखबद्ध करे।
  - (2) सचिव, कर वसूली अधिकारी से तीन मास में न्यूनतम एक बार कर वसूली अधिकारी को निर्दिष्ट मांगों की वसूली की प्रगति का पुनर्विलोकन और प्रगति रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा और शास्ति की वसूली की प्रगति को हर महीने आयोग के समक्ष रखेगा।
- 13. शास्ति की वसूली की कार्यवाहियों की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण.-

सचिव उन सभी मामलों को, जहां शास्ति की वसूली नहीं की गई है, प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरों, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए प्रतिनिर्देश हैं, के साथ आयोग के समक्ष कम से कम एक मास में एक बार रखेगा।

- 14. शास्ति आधिक्य का प्रतिदाय.-
  - (1) जहां, यथास्थिति, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उद्यम किसी शास्ति के संदाय के लिए दायी नहीं है या किसी आदेश या सूचना में उल्लिखित रकम से कम शास्ति के संदाय के लिए दायी है वहां मांग सूचना-पत्र या वसूली प्रमाणपत्र को वापस लिया जाएगा या परिवर्तित किया जाएगा और अधिक संदत्त की गई शास्ति की रकम का, यदि संदाय किया गया है तो प्रतिदाय किया जाएगा।
  - (2) प्रतिदाय की दशा में, सचिव अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन ऐसी रकम के लिए प्रतिदाय आदेश जारी करेगा ।
- 15. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति.-

ऐसी स्थिति में, जिसका उपबंध इन विनियमों या भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में नहीं किया गया है, आयोग विनिर्दिष्ट मामलों में, यदि ऐसा आवश्यक हो, प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

16. कठिनाईयों का निराकरण.-

इन विनियमों के क्रियान्वयन के मामले में यदि कोई शंका या कठिनाई उदभूत होती है, तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा ।

प्ररूप एक (विनियम 5 देखें)

# भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग मांग सूचना पत्र

[प्रतिरपर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

सेवा में,
*****************
विषय: प्रतिरपर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा के अधीन अधिरोपित
शास्ति की वसुली के लिए मांग सूचना - के संबंध में ।
जहां भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) ने आदेश सं तारीख द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा (धाराओं) के अधीन (संबद्ध उद्ध्यमी का नाम) जिसका कार्यालय (पता) में है और स्थायी खाता सं. है, के ऊपर रू० ( रुपए) की शास्ति अधिरोपित की है ;
और
जबिक आ <b>यो</b> ग ने उद्यमी को तारीख के अपने मांग के नोटिस में तक का समय दिया है ; <b>औ</b> र
जहां आप <b>को</b> (तारीख) पर उक्त आदेश की एक प्रति सम्यक रूप से तामील की गई थी  ; और ऊपर उल्लिखित आदेश के निबंधनों के अनुसार (तारीख) को रू <b>0</b> की शास्ति संदेय हो गई थी; और
आपने इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर आपने उक्त शास्ति,का संदाय नहीं किया है ;
अतः, अब आप से चालान के माध्यम से इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, रू0 (शब्दों में रुपए) की राशि का निक्षेप अपेक्षित है । शास्ति का संदाय ''वेतन और लेखा अधिकारी - कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली'' के पक्ष में खाता शीर्ष 1475.00.105.05, उपशीर्ष -05 'भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियां' में किया जाएगा ।
आपके द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर आयोग द्वारा अधिरोपित पूर्ण मांग के संदाय में असफल होने की दशा में, आयोग ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह विधि के अनुसरण में करना आवश्यक समझे ।
स्थान हस्ताक्षर तारीख नाम
पदनाम : सचिव भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग
भारत का अंतर्भवाक स्वाप्त का अंतर्भवाक

प्ररूप दो

(विनियम 3(4) देखें)

बैंक/पी.ए.ओ./सी.सी.आई./निक्षेपकर्ता के लिए चार प्रतियों में भरा जाने वाला चालान (मुख्य पृष्ठ)

जी.ए.आर. 7

[केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 का नियम 26(1) देखिए]

भारत का	प्रतिस्पर्धा आयोग
वाद सं	••••

कृपया	सिविल
बतायें	रक्षा
	रेलवे
	डाकतार

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा ..... के अधीन अधिरोपित शास्ति(यां) खजाना/उप-खजाना/ भारतीय रिजर्व बैंक में ....... में संदत्त रकम का चालान

प्रेषक द्वारा	भरा जाए				विभागीय अ	धिकारी या	खजाने द्वारा
				ĺ	भरा जाए		
किसके द्वारा निविदत्त किया गया	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी ओर	पदाधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसके द्वारा समायोजन	बैंक को आदेश
	से धन संदत्त किया गया	विशिष्टियां				हो सकता है	
नाम		भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली	रु0 पै	à o	शीर्ष सं. 1475.00. 105. 05, उपशीर्ष- 05- 'भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियां'	(पीएओ), कारपोरेट	सही है । प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम और पूरा
							पदाभिधान)
हस्ताक्षर	·	योग*					

* (शब्दों में) रुपए					के	माध्यम	से
प्राप्त संदाय (शब्दों में)	रुपए						
कोषपाल	लेखापाल	तारीर	ख	खजाना अभिकत		अधिक प्रबंधक	ारी
(पीम्बे)			The state of the s	a. v. 1. B. a., tota atta atta atta atta atta atta att	de Miller and Martine - 1 Tarih		

	प्रेषक द्वारा भरी जाने वाली विशिष्टियां	रकम	
ann ag agus ang taong an taonan an an an ang agus an tao ta pat agus an tao tao an ang agus agus agus agus agus an		₹60	र्थ0
नकद			
बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (ब्यौ के साथ)	रों		

# भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

प्ररूप तीन (विनियम 6 देखें)

# वसूली प्रमाणपत्र [प्रतिरपर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

सवा म,
••••••
निर्देश : मामला सं
विषय: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा के अधीन अधिरोपित
शास्ति की वसूली के लिए वसूली प्रमाणपत्र - के संबंध में ।
जहां भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) ने आदेश सं 
जहां आयोग ने उद्यम को तारीख की अपनी मांग सूचना में तक का समय दिया है ; और
जहां आप तारीख को मांग सूचना के तामील किए जाने के वाबजूद उसमें विनिर्दिष्ट दिन के भीतर उक्त शास्ति का संदाय करने में असफल रहे हैं ।
उपर्युक्त समय के भीतर संदाय करने में आप की असफलता पर आपको 'व्यतिक्रमी उद्यम' समझा गया है :

अतः, अब, आयोग शोध्य रकम की वसूली के लिए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 के विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट सभी या किसी तरीके को अंगीकृत करके कार्यवाही करेगा जिसके अंतर्गत विनियम 10 के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित उपाय भी हैं:

(क) उद्यम की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय; और/या	
(ख) उद्यम की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा।	·
स्थान	हस्ताक्षर
तारीख	नाम
	पदनाम
	(वसूली अधिकारी)

# भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

प्ररूप चार (विनियम 8 देखें)

मुद्रा

# शास्ति वसूली रजिस्टर [प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

क्रम	सं.			
		मामला	सं.	

क्रम	प्रविष्टि का नाम	ब्यौरे
सं.		
1.	व्यक्ति या उद्यम का नाम और पता	
2.	आयोग द्वारा आदेश की तारीख	
3.	धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया था	
4.	शास्ति के ब्यौरे (रकम+ ब्याज)	
5.	क्या विनियम 4 के अधीन कोई समय विस्तारण मंजूर किया गया है । यदि हां - तो ब्यौरे	
6.	क्या विनियम 4 के अधीन किस्तों में संदाय की अनुज्ञा दी गई है । यदि हां - तो ब्यौरे	
7.	क्या शास्ति के संदाय को किसी प्राधिकरण /न्यायालय द्वारा आस्थगित किया गया है ; यदि हां तो,	
	(क) प्राधिकरण/न्यायालय का नाम	
	(ख) आदेश की तारीख	

8.	क्या किसी प्राधिकरण /न्यायालय द्वारा शास्ति को	
	कम/आस्थगित किया गया है ; यदि हां तो,	
	(क) प्राधिकरण/न्यायालय का नाम	
	(ख) आदेश की तारीख	
9.	क्या आयोग ने शास्ति आदेश को उपांतरित किया है	
10.	मांग सूचना जारी किए जाने की तारीख	
11.	वसूली प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	and the second s
12.	आयकर प्राधिकारी को प्रतिनिर्देश की तारीख, यदि कोई हो	
13.	क्या विनियम 9(छ) के उपबंध को लागू किया गया है,	
	यदि हां तो उसके ब्योरे	
14.	आंशिक संदाय की तारीख यदि कोई हो	
15.	पूर्ण संदाय की तारीख	
16.	बैंक द्वारा जमा की तारीख	
17.	क्या सचिव द्वारा कोई प्रतिदाय आदेश जारी किया गया	
	है ; यदि हां तो आदेश की तारीख	
18.	टिप्पणियां यदि कोई हो	

# भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

प्ररूप पांच (विनियम 11 देखें)

मामला सं सेवा में,
कर वसूली अधिकारी
विषय : आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन देय कर के रूप में शास्ति की
वसूली - धारा 39(2) के अधीन प्रतिनिर्देश ।
जहां भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) ने आदेश सं. तारीख द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धाराओं के अधीन (संबद्ध उद्यम का नाम) जिसका
कार्यालय (पता) में है और जिसका पेन नं है, के ऊपर रू0
( रुपए) की शास्ति अधिरोपित की है ; और
जहां प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 39(2) के अनुसार, आयोग आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन 'देय कर' के रूप में शास्ति की वसूली के लिए संबद्ध आय-कर प्राधिकारी को
प्रतिनिर्देश करने के लिए सशक्त है : और

जहां, धारा 39(2) के अनुसार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 221 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 231 और धारा 232 और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची, और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों को ऐसे ही लागू किया जाएगा जैसे कि वे अधिनियम के भाग थे ; और

जहां धारा 39(2) के अनुसार आयोग की यह राय है कि आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन 'देय कर' के रूप में अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति को वसूल करना समीचीन होगा ; और

इसलिए आप से अपेक्षित है कि आप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन उद्यम को 'व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती' मानकर शास्ति को वसूल करें और की गई वसूली के बारे में आयोग को सूचित करें।

स्थान	हस्ताक्षर
तारीख	नाम
	•

पदनाम : सचिव भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग े मुद्रा

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/10/असा.]

# THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2011

The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011 (No. 1 of 2011)

No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 64 read with Section 36 and sub-section (1) of Section 39 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to specify manner of recovery and monetary penalty, namely:—

#### 1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
  - (b) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (c) "demand notice" means a notice issued by the Commission to an enterprise from whom any penalty is recoverable under the Act;

- (d) "enterprise", means enterprise as defined in clause (h) of section 2 of the Act;
- (e) "enterprise in default" means an enterprise which has not paid the penalty imposed on it within the stipulated time despite the demand notice duly served upon;
- (f) "Income-tax authority" means an authority as defined in section 116 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- .(g) "penalty" means a monetary penalty or fine or any other sum imposed by the Commission and realisable under the Act;
- (h) "penalty recovery register" means the register as set out in Form IV appended to these regulations containing all the details of the penalties imposed by the Commission;
- (i) "recovery certificate" means a certificate issued by the Commission and to be executed by the recovery officer in terms of the Commission's orders:
- "recovery officer" means an officer authorised by the Commission to recover the penalty from the enterprise or the 'enterprise in default' as the case may be, as defined under these regulations;
- (k) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorised by it to function as Secretary;
- (I) "Tax Recovery Officer" means the Tax Recovery Officer as referred to in *Explanation* 2 to section 39 of the Act and defined in clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or in the Income—tax Act, 1961 (43 of 1961), as the case may be.

#### 3. Issuance of demand notice.-

(1) Where a penalty has been imposed on an enterprise by the Commission, the Secretary shall issue a demand notice as set out in Form I appended to these regulations and shall serve it through the recovery officer, to the enterprise concerned after expiry of the period specified for the purpose in the order of imposition of penalty by the Commission at its last address known to the Commission and in the case of a joint account to all the joint

holders of such account at their last addresses known to the Commission.

(2) A demand notice issued under sub-regulation (1) shall provide a time of thirty days from the date of service of the demand notice to the enterprise concerned to deposit the penalty in the manner specified in the said notice:

Provided that where the Commission has any reason to believe that it will be detrimental if the full period of thirty days aforesaid is allowed, it may direct the enterprise concerned that the sum specified in the demand notice shall be paid within such period being a period less than the period of thirty days aforesaid, as may be specified by the Commission in the demand notice.

- (3) Upon receipt of demand notice the enterprise shall pay the penalty, through challan as set out in Form II appended to these regulations, in favour of Pay & Accounts Officer (PAO), Ministry of Corporate Affairs, Head No.1475.00.105.05, Sub-Head-05 'Penalties imposed by Competition Commission of India'.
- (4) One copy of the challan shall be submitted by the enterprise to the recovery officer immediately but not later than seven days of the payment and the recovery officer shall make an entry in the penalty recovery register to the same effect.
- (5) The Commission may, at any time, rectify any clerical or arithmetical mistake made in the demand notice.

#### Extension of time and grant of installments.-

- (1) On an application made by the enterprise concerned, before the expiry of the due date of the payment specified in the demand notice, the Commission may extend the time for payment or allow payment by instalments, subject to such conditions as the Commission may think fit to impose in the circumstances of the case.
- (2) In a case where an extension has been granted and the enterprise concerned fails to make the payment within the time so extended, the enterprise concerned shall be deemed to be an enterprise in default.
- (3) In a case where payment by instalments has been allowed and the enterprise concerned commits default in paying any one of the instalments within the time fixed, the enterprise concerned shall be deemed to be

enterprise in default as to the whole of the penalty then outstanding, and the other instalment or instalments shall also be deemed to have been due on the same date as the instalment actually in default.

## 5. Interest on penalty.-

If the amount specified in any demand notice is not paid within the period specified by the Commission, the enterprise concerned shall be liable to pay simple interest at one and one half per cent. for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately after the expiry of the period mentioned in demand notice and ending with the day on which the penalty is paid:

Provided that the Commission may reduce or waive the amount of interest payable by the enterprise concerned if it is satisfied that default in the payment of such amount was due to circumstances beyond the control of the enterprise concerned:

Provided further that where as a result of an order of the Competition Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court of India, as the case may be the amount of penalty payable has been reduced, the interest shall be reduced accordingly and the excess interest paid, if any, shall be refunded in accordance with regulation 14.

# 6. Issuance of recovery certificate.-

- (1) Where an enterprise is an enterprise in default or deemed to be an enterprise in default as per sub-regulations (2) and/ or (3) of regulation 4, the Commission shall issue recovery certificate through the Secretary to be executed by the recovery officer, as set out in Form III appended to these regulations mentioning the amount of penalty and interest thereon along with modes of recovery therein, giving fifteen days time to deposit the penalty.
- (2) The Commission may, at any time rectify any clerical or arithmetical mistake made in the recovery certificate issued or extend the time for making any payment in pursuance of such recovery certificate.

# 7. Functions of Recovery Officer.-

- (1) The Commission may from time to time authorise any of its officers to function as recovery officer for the purposes of these regulations, to recover the penalties in the manner specified under these regulations.
- (2) The recovery officer shall ensure that the demand notice is duly served on the enterprise concerned. In the case of non-service of the demand notice, the recovery officer shall immediately inform the Secretary.
- (3) When the payment of penalty is made by the enterprise concerned, recovery officer shall bring it to the notice of the Secretary. In the case of default by the enterprise concerned he shall intimate to the Secretary and ensure thereafter issuance of recovery certificate to such an enterprise in default.
- (4) The recovery officer shall execute the recovery certificate to realise the amount of penalty imposed upon the enterprise in default in the manner specified in these regulations.
- (5) The recovery officer shall after issuance of recovery certificate proceed in accordance with the modes specified under these regulations for recovery of the penalty imposed.

## 8. Maintenance of Penalty Recovery Register.-

The recovery officer shall maintain the penalty recovery register as set out in Form IV appended to these regulations and update the penalty recovery register regularly.

# 9 Modes of Recovery.-

Where the enterprise in default fails to pay the penalty within the stipulated time as mentioned in the recovery certificate, the recovery officer shall proceed to recover the penalty in the following manner,-

the recovery officer shall at any time after issuance of recovery certificate require any enterprise in default from whom penalty is due or may become due or any other enterprise who holds or may subsequently hold money for or on account of the enterprise in default, to pay to the Commission either forthwith upon the penalty becoming due or within the time specified in the recovery certificate so much of the money as is sufficient to pay the penalty due to the enterprise in default. If such other enterprise fails to pay the said

652 61711-5

- amount in lieu of the penalty then such enterprise shall also be treated in the same manner as an enterprise in default;
- (b) a recovery certificate may be issued to any enterprise who holds or may subsequently hold any money for or on account of the enterprise in default jointly with any other enterprise and for the purposes of this regulation, the shares of the joint holders in such account shall be presumed, until the contrary is proved, to be equal;
- (c) every enterprise to whom a recovery certificate is issued shall be bound to comply with such certificate, and, in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy, or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;
- (d) any claim respecting any property, in relation to which a recovery certificate has been issued, arising after the date of the demand notice shall be void as against any demand contained in the recovery certificate;
- where an enterprise to whom a recovery certificate has been issued objects to it by a statement on oath that the sum demanded or any part thereof is not due to the enterprise in default or that it does not hold any money for or on account of the enterprise in default, then, nothing contained in these regulations shall be deemed to require such enterprise to pay any such sum or part thereof, as the case may be:
  - Provided that such assertion of the enterprise is to be brought to the notice of the Commission for its consideration:
- (f) the recovery officer may apply, for payment of the amount sufficient to discharge the penalty due to enterprise in default, to the court in whose custody there is money belonging to such enterprise;
- (g) where an enterprise in default has property in a country outside India (being a country with which the Central Government has entered into an agreement for the recovery of penalty under the Act and the corresponding law in force in that country), the Commission may propose to that country to take such action thereon as the Commission may deem appropriate having regard to the terms of the said agreement with such country and to

remit any sum so recovered to the Commission, and thereafter the Secretary shall take appropriate steps to deposit the same in the account earmarked for the purpose;

(h) where during the pendency of any proceeding or after the decision under the Act but before the service of the notice under regulation 3, any enterprise in default creates a charge or parts with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of its assets in favour of any other person or enterprise, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any penalty payable by such enterprise in default as a result of the decision of the said proceeding or otherwise:

Provided that such charge or transfer shall not be void if it is made,-

- for adequate consideration and without notice of the pendency of such proceeding; or
- (ii) with the previous permission of the Commission.

## 10. Other modes of Recovery.-

After issuance of recovery certificate the recovery officer may also proceed to recover the amount of penalty through the modes mentioned below, in accordance with the rules laid down in the Second Schedule of Income-tax Act, 1961(43 of 1961), namely:-

- (a) by attachment and sale of movable property of the enterprise; and
- (b) by attachment and sale of immovable property of the enterprise.

### 11 Reference by the Commission to the Income-tax authority.-

Where the Commission is of the opinion, for reasons to be recorded in writing, that it would be expedient to recover the penalty imposed under the Act in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), it shall make reference under sub-section (2) of section 39 of the Act to the concerned Income-tax authority as set out in the Form V appended to these regulations for recovery of the penalty as 'tax due' under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

# 12. Intimation of recovery by Income-tax authority.-

(1) Where an intimation of recovery of penalty has been received by the Secretary from the Tax Recovery Officer, he shall ensure that recovery

officer records it in the penalty recovery register immediately but not later than five days from the date of having received such intimation.

(2) The Secretary shall review and obtain a progress report, at least once in three months, from the Tax Recovery Officer, of the progress made in the recovery of demands referred to the Tax Recovery Officer and shall place the progress of recovery of penalty before the Commission every month.

### 13. Monitoring and supervision in proceedings of recovery of penalty.-

The Secretary shall place before the Commission all the cases where the recovery of penalty has not been made, along with details of action taken in each case including the details of references made under sub-section (2) of section 39 of the Act, at least once in a month.

### 14. Refund of excess penalty.-

- (1) Where by any order of the Competition Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court of India, as the case may be, it has been held,that the enterprise is not liable to pay any penalty or liable to pay penalty less than the amount mentioned in any order or notice, the demand notice or the recovery certificate shall be withdrawn or modified and the amount of penalty, if paid, shall be refunded.
- (2) In case of a refund, the Secretary shall issue a refund order for such amount, under his signature and seal.

#### 15. Power to determine procedure in certain circumstances.-

In a situation not provided for in these regulations or the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the Commission may determine the procedure, for specific matters, if so required.

## 16. Removal of difficulties.-

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon shall be binding.

# THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

FORM I

(See regulation 3)

# **DEMAND NOTICE**

[Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)]

10				
	·			
			•	
Subject: Notice of demar	nd for the recover	ry of penalty imposed	u/s of the Comp	etition Act. 2002
( 12 of 2003) - regarding				
1 12 01 2000/ 10001 01119	<u> </u>			
(the Commission) has im	vide order	dated (case No	in the) the Competition Co	matter of mmission of lodia
(the Commission) has im	posed a penalty	of Rs (Rup	oees	) on
(Name of the concerned (address) and having	ravi PAN nur	ng its office at	of the Competi	tion Act 2002 (12
Of 2003) (the Act); and				
Whereas a copy of the sabove mentioned order, on(date); and	the penalty of	ly served upon you on Rs(Rupe	(date); an	d in terms of the ) was payable
Whereas you have not pa	id the said penalty	within the time so spec	sified;	
Now, therefore, you are rethirty days from the date favour of 'Pay and Acc 1475.00.105.05, sub-head	of receipt of this no ounts Officer- Mi	otice through Challan. Inistry of Corporate Af	The payment of penalty fairs, New Delhi' in the	shall be made in
In case you fail to depos Commission shall take ar				resaid period, the
Place: Date:			Signature:	 etary

FORM-II

(See regulation 3(4))

Civil

Please

indicate

## Challan to be filled in quadruplicate for Bank/PAO/CCI/Depositor

(OBVERSE)

#### G.A.R.-7

[See Rule 26 (1) of Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983]

Competition Commission of India						Whether		Defence		
Case No.								Railw	ay	
Penalty (ies	s) imposed under sect	tion of the C	ompe <sup>s</sup>	tition	Act, 2002			Post	and Telegr	raph
-	f Money paid into	<u>.</u>				Dar	20040	Rank	of India	at
Chanan	- Worley paid lift		U 111	easui	y or Stater	Nes	ei ve	Dank	OI muia	al
To be filled	d by the remitter				To be filled	by th	e dep	artmen	tal Officer	ror
					the Treasury	<u> </u>				
By whom Tendered	Name (or designation and address of the enterprise/ person on whose behalf money is paid)	Full Particulars of the remittance and or authority (if any)	Amo	unt	Head Account	of	whon	er by	Order to Bank	the
Name		Competition Commission of India, New Delhi.	Rs	P.	Head 1475.00.105 Sub Head- 'Penalties Imposed Competition Commission India'	05- by	Pay Acco Offic (PAC Minis of Corp Affai	ounts er )), stry orate	Date Correct: Receive a grant receipt. (Signatur and designation of the offi ordering money to paid in)	e full on icer the
Signature		Total*								
· ·	ords) Rupees				To be used on the Bank through Treasury Off	ough				
Receiv	ved payment (in word	s) Rupees								
Treasu	ırer A	ccountant			Date			Treasur Agent o	y Offi r Manager	icer

#### (REVERSE)

	Particulars to be filled by the Amount remitter		Amount
		Rs	P
Cash			
Bank Draft/ Pay order(Wift details)	h		

# THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

FORM III (See regulation 6)

# RECOVERY CERTIFICATE [Under The Competition Act, 2002 (12of 2003)]

	•
·	
•	•
ificate for the recovery of penalty impos	ed u/sof the Competition Act,
ding.	
vide order dated(case No	in the matter of ) the Competition Commission of India
nposed a penalty of Rs (Rupe	es) on
<u>d enterprise)</u> having its office at	of the Competition Act, 2002 (12
	of the competition 700, 2002 (12
on, in its demand notice datedt	o the enterpris <b>e</b> had given time up
d to pay the said penalty despite the de	mand notice being served on you on
ays as specified therein.	mana notice being contour on you on
and the second s	a ta calco da a cada a ta a consecución a tra
payments within the aforesaid time, you ar	e nereby deemed to be an enterprise in
mission shall proceed to recover the amo	ount due by adopting all or any of the
regulation 9 of the Competition Commiss	sion of India (Manner of Recovery of
lations, 2010 (the Regulations) including the lations, namely:-	he following measures specified under
sale of any movable property of the enterpri	ise; and/or
sale of any immovable property of the enter	prise.
	Signature:
	Name:
	Designation:
•	
lations, 2010 (the Regulations) including the lations, namely:- sale of any movable property of the enterprise	ount due by adopting all or any outsion of India (Manner of Recove the following measures specified uses; and/or sprise.  Signature:

## THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

FORM IV (See regulation 8)

# PENALTY RECOVERY REGISTER [Under The Competition Act, 2002 (12of 2003)]

Serial No.		
	Case No	,

S.No.	Entry Name	Details
1	Name and address of the enterprise	
2	Date of the Order by the Commission	
3	Section under which such Order was passed	
4	Details of Penalty (Amount +Interest)	
5	Whether an extension of time has been granted under regulation 4. If so – details.	
6	Whether payment in installments has been allowed under regulation 4. If so, details.	
7	Whether payment of penalty stayed by any authority/court; if so, (a)name of the authority/ court (b)date of the order	
8	Whether penalty reduced/ waived stayed by any authority/court; if so,(a)name of the authority/ court (b)date of the order	1
9	Whether the Commission has modified the penalty order	
10	Date of issuance of demand notice	
11	Date of issuance of recovery certificate	. ,
12	Date of reference to the Income- Tax Authority, if any	
13	Whether the provision of regulation 9 (g), is attracted, if so, details thereof	
14	Date of the part payment, if any	``
15	Date of full payment	
16	Date of credit by the bank	
17	Whether any refund order has been issued by the Secretary; If so, the date of the order	
18	Remarks, if any	

shall be made unless the person or the enterprise or a party to the proceeding, during an ordinary meeting of the Commission, has been given a show cause notice and reasonable opportunity to represent his case before the Commission.";

(9) in regulation 50, in sub-regulation (2), for the words, "rupees fifty per page", the words, "rupees twenty per page" shall be substituted.

S. L. BUNKER, Secy. [ADVT.III/4/69 ZB/10/Exty.]

Note:

The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 22nd May, 2009. Subsequently amended by notification No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)2009-10/CCI published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated August 20, 2009 and No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, dated October 20, 2010.

1220GIJ11-2

\*

1